न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 12/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

रजनीश पुत्र मदन लाल जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

वादी

वनाम

1. मदनलाल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र सिह सूच–वकील वादीगण
   श्री संजय सहू–वकील प्रति.सं. 1

निर्णय

दिनांक :– 3.3.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रकिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया हैं। वादी व प्रतिवादीगण एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 वादी के पिता है। वादी प्रतिवादी सं. 1 का इकलौता पुत्र हैं। प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक नं. 6 बीजीपी–ए के खाता सं. 166/65 जं.सं. 2073–2076 में 5.566 है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है उक्त खाता की जमाबन्दीयां सलग्न वादपत्र हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 1 एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक नं. 6 बीजीपी–ए के खाता सं. 166/65 जं.सं. 2073–2076 में 5.566 है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है उक्त भूमि जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं वादी व प्रतिवादी सं. 1 की विरासतन प्राप्त भूमि हैं। इस भूमि में वादी का प्रतिवादी सं. 1 के बराबर बहिब हक व हिस्सा जन्म से बनता हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त भूमि का घरू–वंटवारा कर रखा हैं। वादी के हिस्सा में चक नं. 6 बीजीपी–ए के खाता सं. 166/65 जं.सं. 2073–2076 में 5.566 है भूमि में से 3.289 हैक्ट. भूमि आई हैं। शेष भूमि प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा में आई हैं। इसलिए वादी चक नं. 6 बीजीपी–ए के खाता सं. 166/65 जं.सं. 2073–2076 में 5.566 है भूमि में से 3.542 हैक्ट. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी व दावेदार हैं। वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया है कि वादी को वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे किन्तु बाद में वादी की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। प्रतिवादी सं. 2 को लैंण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

हैं। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। वादपत्र बावत घोषणा का हैं जो 2/–रूपये के न्याय शुल्क पर पेश हैं व अन्दर मियाद है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अतः वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि वाद तहकीकात कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चक नं. 6 बीजीपी–ए के खाता सं. 166/65 जं.सं. 2073–2076 में 5.566 है भूमि में से 3.289 हैक्ट. भूमि का काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का इतना हिस्सा कम किया जावे व इसी अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी रजनीश ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 6 बीजीपी–ए के खाता संख्या 166/65 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 व चक 6 बीजीपी–ए के खाता संख्या 62/54 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबन्दीयो की प्रति एवं प्रकरण संख्या 316/2021 अनवान रणवीर वगैरा बनाम मनीराम वगैरा में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2023 को पारित डिक्री की फोटो प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 6 बीजीपी–ए के खाता संख्या 166/65 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में 5.566 हैक्ट. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल पुत्र भागीरथ के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 6 बीजीपी–ए के खाता संख्या 62/54 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबन्दीयो की प्रति एवं प्रकरण संख्या 316/2021 अनवान रणवीर वगैरा बनाम मनीराम वगैरा में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2023 को पारित डिक्री की फोटो प्रति पेश की गई है जिसके आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल पुत्र भागीरथ के नाम चक 6 बीजीपी–ए

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

के खाता संख्या 166/65 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 में आराजी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता सहमति का जवाबदावा पेश कर दावे को स्वीकार किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री जारी किया जाता है कि :- चक 6 बीजीपी-ए के खाता संख्या 166/65 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 मे प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल पुत्र भागीरथ के नाम दर्ज कृषि भूमि में से वादी रजनीश को 3.289 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 3.3.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 12/2025

रजनीश पुत्र मदन लाल जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. मदनलाल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुरेन्द्र सिह सूच वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सजय सहू वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 6 बीजीपी–ए के खाता संख्या 166/65 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 मे प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल पुत्र भागीरथ के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादी रजनीश को 3.289 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोटः– प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज...X...नल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत्...X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक............ अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3.3.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

Scanned with OKEN Scanner